

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
लखनऊ

सेवा में,

प्रबन्धक,
एमटी इंटरनेशनल स्कूल,
विराज खण्ड-5, गोमती नगर,
लखनऊ।

पत्रांक-बेसिक / मान्यता/ १७७९

/2020-21 दिनांक २५/८/२०२०

विषय- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा-18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) तथा नियमावली 2011 के अधीन विद्यालय के महोदय,

आपके आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्यर्त पञ्चाचार/निरीक्षण की प्रति एवं मान्यता समिति के निर्देश से मैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ आपके विद्यालय को शिक्षा सत्र 2020-21 से एक वर्ष की अवधि के लिए उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा-6 से कक्षा-8 तक) अग्रेजी नियम की अनंतिम (अस्थायी) मान्यता प्रदान की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्ययीन हैं:-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता दियक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपबंध 2) तथा नियमावली 11 के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथारिति, नर्सी कक्षा में) उस कक्षा के बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस पड़ोस के कमज़ोर दर्वां और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियों प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी रक्कीनिंग प्रक्रिया के अध्ययीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और व अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:-
7. (1)प्रवेश दिये गये किसी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
(2)किसी भी बालक को शारीरिक ढंड या मानसिक छत्तेलून के अध्ययीन नहीं किया जाएगा।
(3)प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगा।
(4)प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
(5)अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तताग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
(6)अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं है, पॉच वर्ष की अवधि की भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
(7)अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और,
8. (8)अध्यापक श्वय को किसी निजी अध्यापन किया कलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
9. विद्यालय समुद्दित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचार्य के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल- 12960 वर्ग मीटर
कुल निर्मित क्षेत्रफल- 9467 वर्ग मीटर
कीड़ास्थल - उपलब्ध है
कक्षाओं की संख्या- मानक के अनुसार

18

T. P. S. Chauhan

Dr. T. P. S. Chauhan
School Manager

Ms. Rachna Mishra
Principal

- प्रधानाध्यापक—कार्यालय एवं स्टाफ के लिए कक्ष—उपलब्ध है।
पुरतकालय/वाचनालय—उपलब्ध है।
बालक एवं बालिकाओं के लिए पृथक शैक्षालय—उपलब्ध है
पैद्यजल सुविधा—उपलब्ध है।
बाधाहित पहुँच—उपलब्ध है।
अध्यापन पठन सामग्री/कीड़ा खेलकूद उपस्करण/काष्ठोपकरण/विज्ञान सामग्री की उपलब्धता—उपलब्ध है।
10. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।
 11. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा-रथल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए किया जायेगा।
 12. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटीज द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
 13. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के सहूल या संगम या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जायेगा।
 14. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर एकाउंटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
 15. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्याक-748 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख करें।
 16. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो समय—समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हों और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।
 17. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
 18. विद्यालय/संस्था द्वारा प्रतिवर्ष विभाग द्वारा निर्धारित समय—सारिणी के अनुसार यू-डायस+से सम्बन्धित सूचनायें/आंकड़े भरना अनिवार्य होगा।
 19. शासनादेश दिनांक 11.01.2019 एवं 29.06.2020 में उल्लिखित समर्त निर्देशों तथा समय—समय पर निर्गत विभागीय निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। इस सम्बन्ध में यह भी आदेशित किया जाता है कि मान्यता पत्रावली के साथ प्रस्तुत पत्राजातों में भविष्य में कोई तथ्य गोपन/कूटरचना प्रकाश में आती है तो विद्यालय की मान्यता समाप्त करने के साथ ही विद्यालय प्रबन्धक के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी। जिसके लिए विद्यालय प्रबन्धतंत्र सर्व उत्तरदायी होगा।

भवदीय,
 ४०७-२०२०
 (दिनेश कुमार)
 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
 लखनऊ ।

पृष्ठां १ एवं दिनांक—उत्तरवत्

- प्रतिलिपि—निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. जिलाधिकारी, लखनऊ।
 2. मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ
 3. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ०प्र०, लखनऊ/प्रयागराज।
 4. सचिव, उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज।
 5. जिला समाज/अल्पसंख्यक/पिछड़ा वर्ग/जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, लखनऊ।
 6. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, लखनऊ।
 7. कार्यालय गार्ड फाइल।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
 लखनऊ

T. P. S. Chauhan

Dr. T. P. S. Chauhan
 School Manager

R
 Ms. Rachna Mishra
 Principal